राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 40(35) ग्रावि/नरेगा/व्य.ला.का./2011 जयपुर, दिनांकः– 18 JUN 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त।

विषय :– अपना खेत अपना काम योजनान्तर्गत स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।
प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दि. 04.05.2011, 27.05.2011 एवं पत्रांक एफ 11(10) ग्रावि/नरेगा/एस.ई.जी.सी./12 दिनांक 12.06.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र दि. 4 एवं 27 मई, 2011 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य अपना खेत अपना काम सम्बन्धी दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। इसके बिन्दु सं. 5 पर कार्यो की वित्तीय सीमा प्रत्येक जाबकार्डधारी परिवार हेतु रू. 1.50 लाख निर्धारित है।

प्रासंगिक पत्र दिनांक 12.06.2012 द्वारा जारी राजस्थान राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक दिनांक 16.05.2012 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु सं. 3.8 पर उल्लेख है कि "माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने बताया कि व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में यदि कोई काश्तकार पूर्व में काम करा चुका है तो उसे दूसरा कार्य कराने की भी स्वीकृति दी जावें। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में प्रति परिवार रूपये 1.50 लाख के कार्य करवाये जा सकते है। इस सीमा तक कोई भी काश्तकार एक से अधिक कार्य करवा सकता है।"

इस सम्बन्ध में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत यदि किसी जॉबकार्डधारी परिवार को पूर्व में 1.50 लाख रू. से कम का कार्य स्वीकृत हो चुका है तो उनके खेतों में 1.50 लाख रूपये में से स्वीकृत कार्य की राशि घटाकर शेष राशि के अन्य कार्य स्वीकृत किये जा सकते है। जिन परिवारों को अभी तक योजनान्तर्गत बिल्कुल भी कार्य स्वीकृत नहीं हुए है, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जावे। प्रत्येक कार्य पर 60 : 40 का श्रम सामग्री अनुपात संधारित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अभय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ पालनार्थ :–

1. निजी सचिव, मान. मंत्री महो. ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज/कृषि/राजस्व विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचायत राज/कृषि/राजस्व विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जयपुर।
8. निदेशक, उद्यान विभाग, कृषि भवन, जयपुर।
9. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
10. आचार्य, ग्राम सेवक/पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र मण्डोर (जोधपुर), अजमेर, डूंगरपुर।
11. परियोजना निदेशक, एम पॉवर परियोजना, जोधपुर।
12. अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस